www.dhyeyaias.com
जून 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 कोविड–19 के दौरान अम्फान चक्रवात

प्रकृति की दोहरी मार

2 रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता : समय की माँग

3 कोविड–19 महामारी के दौरान कार्यस्थल पर सुरक्षा की चुनौती

4 मनरेगा के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता

5 कृषि क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की समीक्षा

6 ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हेतु सरकार की नई पहल

7 वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया की भूमिका

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

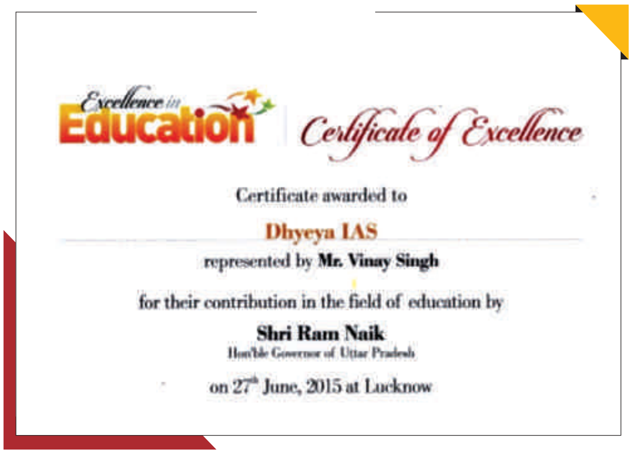

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जून 2020 | अंक 02

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ अंशुमान तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ स्नेहा तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15
- कोविड–19 के दौरान अम्फान चक्रवात: प्रकृति की दोहरी मार
- रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता : समय की माँग
- कोविड–19 महामारी के दौरान कार्यस्थल पर सुरक्षा की चुनौती
- मनरेगा के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता
- कृषि क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की समीक्षा
- ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हेतु सरकार की नई पहल
- वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया की भूमिका

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–28

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 29

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 31

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 कोविड-19 के दौरान अम्फान चक्रवातः प्रकृति की दोहरी मार

चर्चा का कारण

- कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में महाचक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा में भी दस्तक दी और काफी नुकसान पहुंचाया जिससे लाखों लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

परिचय

- भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहां पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम हैं।
- भारत के लगभग 60% भू-भाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेर से अधिक क्षेत्र में बारंबार बाढ़ आती है। कुल 7516 कि.मी. लंबी तटरेखा में से 5700 कि.मी. में चक्रवात का खतरा बना रहता है। चक्रवात, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदा है। लगभग 7516 कि.मी. लंबी भारतीय तटरेखा को विश्व के ऊष्ण-कटिबंधीय क्षेत्र में उठने वाले लगभग 10% चक्रवातों को झेलना पड़ता है। इस क्षेत्र का लगभग 71% भाग दस राज्यों नामतः, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में आता है।
- अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह में भी चक्रवात का संकट बना रहता है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में औसतन पांच या छह ऊष्ण-कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और वे भारतीय तट से टकराते हैं। चक्रवात के तट पर पहुंचने पर उत्पन्न तेज हवाओं, भारी वर्षा व तूफान तथा नदी में बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान का खतरा हो जाता है।
- देश के कई भागों में पतझड़ व शुष्क पतझड़ वनों में आग लगना आम बात है। हिमालयी क्षेत्र तथा पूर्वी व पश्चिम घाट के इलाकों में अकसर भूस्खलन का खतरा रहता है। खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है।

अम्फान चक्रवात का असर

- अम्फान तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। जहां अम्फान तूफान की वजह से 180 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलीं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता ने इससे सबसे ज्यादा नुकसान झेला।
- आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से हुए हादसों में 72 लोगों की जान चली गई जिसमें से 15 लोगों की मौत अकेले कोलकाता में हुई। पश्चिम बंगाल में तूफानी हवाओं की वजह से साढ़े पांच हजार से ज्यादा मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई जिलों के बड़े हिस्सों में बिजली गुल हो गई।
- अम्फान तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ घंटों में ही भारी तबाही की झलक दिखा दी। अम्फान तूफान की तबाही से कोलकाता एयरपोर्ट को भी काफी नुकसान हुआ।

समस्याएँ

- कोरोना संकट के दौर में 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' की हिदायतें दी जा रही हैं। लेकिन अगर तूफान, बाढ़ या भूकंप आ जाए तो क्या इन नियमों का पालन हो पाएगा? जाहिर है, प्राकृतिक आपदा के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना लगभग नामुमकिन है।
- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और मानवीय सहायता पहुंचाने वाली अन्य एजेंसियों का कहना है कि खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विस्थापन की मार झेल रहे लोग कोरोना संक्रमण के दौर में फिजिकल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं।
- पश्चिम बंगाल पहले से ही कोविड-19 संक्रमण के मामलों से जूझ रहा है। ऐसे में चक्रवात से बचने की तैयारियों को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। अतीत में राज्य सरकारें आपदा के समय लोगों को स्कूल और सार्वजनिक इमारतों में ले जाती थीं लेकिन अभी कोविड-19 संक्रमण की वजह से यह उचित नहीं होगा।

सरकारी प्रयास

- चक्रवात प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए मिली है। वहीं इसके अलावा पश्चिम बंगाल की तुरंत मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का पैकेज जारी किया है।

- चक्रवात से पहले स्थानीय भाषा में चेतावनी संदेश भेजकर नियमित प्रेस ब्रीफिंग आदि कार्यों से नुकसान को कम से कम करने का प्रयास किया गया। कई सरकारी एजेंसिया और स्वयंसेवी संगठन एक साथ काम करने लगे थे जिससे समय पूर्व आपदा प्रतिक्रिया बल तैनात किए गए। चक्रवात से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार द्वारा सेना का भी सहयोग लिया जाता है। गौरतलब है कि बंगाल एवं ओड़िशा में राहत एवं बचाव कार्यों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के लिए एयर-ड्रॉपिंग केंद्र बनाए गए।

आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम

- आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंधन हेतु अपेक्षित आँकड़ों व सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिये इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों से प्राप्त सेवाओं का इष्टतम समायोजन किया जाता है। भू-स्थिर उपग्रह (संचार व मौसम विज्ञान), निम्न पृथ्वी कक्षा के भू-प्रेक्षण उपग्रह, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली और भू-आधारित मूल संरचनाएँ आपदा प्रबंधन प्रेक्षण प्रणाली के प्रमुख घटक हैं।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी और संस्थागत संरचना का प्रावधान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया है। भारत की संघीय राजनीति में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है।

पूर्व के चक्रवात से सीखें सबक

- वर्ष 2018 और 2019 में देश में सात-सात तूफान आए। इसके पहले वर्ष 1999 में साइक्लोन ओ-5बी या पारादीप साइक्लोन और 1885 में फाल्स प्वाइंट चक्रवात आए थे। हालांकि, इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है तथा सरकारों ने इनसे काफी सबक सीखे हैं।
- सबसे ताजा मई 2019 में गंभीर चक्रवाती तूफान फैनी आया था। वर्ष 2019 के चक्रवात फैनी से वर्ष 1999 में आयें चक्रवात के मुकाबले ओडिशा कम प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने में कामयाब रही। यह आपदा की तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया की एक बहुत प्रभावी रणनीति का परिणाम है। अब तूफानों से निपटने के लिए सरकार और आपदा प्रबंधन दल काफी तेज गति से काम करते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र सरकार की 'जीरो कैजुअल्टी' नीति और मौसम विभाग की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की सटीकता इसमें मददगार साबित हुई है। 2019 के चक्रवात फैनी में सरकार ने 48 घंटों से कम समय में रिकॉर्ड 12 लाख लोगों को निकाला था और लगभग 9,000 आश्रय स्थल रातों रात शुरू किए गए थे। इसमें 45,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने मदद की।
- मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी प्रणाली तैयार की, साथ ही सूचना देने के लिए बेहतर एवं प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित की।

आगे की राह

- सरकारी तथा सामाजिक स्तर पर अम्फान चक्रवात से प्रभावित लोगों को कोरोना महामारी से संबन्धित गाइड लाइंस के पालन की जानकारी दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन खाने के पैकेटों और अन्य राहत सामग्रियों के पैकेट पर कोविड-19 गाइड लाइंस लिखकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बांट सकता है। इससे लोगों को मुश्किल हालात में थोड़ी-बहुत ही सही मगर सतर्कता बरतने में मदद मिलेगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विस्थापन की मार झेल रहे लोग कोरोना संक्रमण के दौर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

02 रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता : समय की माँग

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी के कारण कई देशों से जरूरी चीजों का आयात नहीं हो पा रहा है, इसमें रक्षा क्षेत्र की वस्तुएँ भी शामिल हैं।
- इसलिए रक्षा क्षेत्र से संबंधित उपकरणों के स्वदेशीकरण की लम्बे समय से चली आ रही माँग ने फिर से जोर पकड़ा है।

पृष्ठभूमि

- सन् 2018 से पहले भारत पिछले 10 वर्षों से विश्व में रक्षा सामानों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ था। सन् 2018 से पहले भारत, वैश्विक आयात का लगभग 12% खुद ही खरीदता था। अब भारत का स्थान सऊदी अरब ने ले लिया है, हालाँकि भारत अभी भी रक्षा क्षेत्र के वैश्विक आयात का 9% अकेले आयात करता है जो काफी अधिक है।
- भारत की इस स्थिति को देखते हुए, रक्षा विशेषज्ञों ने स्वदेशीकरण पर बल दिया है। उनका कहना है कि भारत को अपनी सुरक्षा हेतु खुद से हथियार एवं सामान विकसित करना चाहिए।

रक्षा क्षेत्र में आयात के नुकसान

- रक्षा उपकरणों आदि को विदेश से आयात करने पर भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार पर काफी दबाव पड़ता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है।
- जब कोई देश अपनी सुरक्षा हेतु विदेशी रक्षा कम्पनियों पर निर्भर होता है तो उसकी सुरक्षा से समझौता हो सकता है, क्योंकि संकट के समय हो सकता है कि विदेश स्थित रक्षा कम्पनियों की सरकारें अपने यहाँ से होने वाले रक्षा निर्यात पर रोक लगा दें।
- कोविड-19 जैसी महामारी आने पर रक्षा क्षेत्र का भी वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है और आपूर्ति शृंखला प्रभावित होती है, ऐसे में सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। भारत के संदर्भ में यह बात अधिक संवेदनशील है, क्योंकि भारत पड़ोसी देश की आंतकवाद नीति से जूझ रहा हैं।

चुनौतियाँ

- भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण से संबंधित कई चुनौतियाँ व्याप्त हैं:
  - भारत पर ऐसे आरोप लगते हैं कि यहाँ रक्षा हथियारों की खरीद (Procurement) प्रक्रिया काफी धीमी रहती है, जो उत्पादकों को हतोत्साहित करती है।
  - रक्षा क्षेत्र की भारतीय कम्पनियाँ जिन हथियारों या अन्य सामग्रियों का निर्माण करती हैं, उनमें उन्नत प्रौद्योगिकी सीमित तौर पर उपस्थित होती है जिससे वे विश्व के अन्य अत्याधुनिक हथियारों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों की खरीद पर कम बल देती है।
  - भारत सरकार ऐसी कोई भी नीति को निर्मित नहीं करती है जिससे कि स्वदेशी कम्पनियों को पता चल सके कि आने वाले समय में सरकार किस तरह के और कितने हथियारों या अन्य रक्षा सामग्री की खरीद करेगी। ऐसा न करने से भारतीय रक्षा कम्पनियाँ पहले से तैयारी नहीं कर पाती हैं।
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारत सरकार का सलाहकार, विकासकर्ता और मूल्यांकनकर्ता है (रक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित)। जब कोई निजी कम्पनी सरकार के लिए रक्षा सामग्री का उत्पादन करती है तो डीआरडीओ ही उसका मूल्यांकन (Evaluation) करता है, लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि डीआरडीओ और निजी कम्पनी एक ही प्रकार के उत्पाद बनाती हैं तो इस स्थिति में डीआरडीओ का निजी कम्पनी के परिप्रेक्ष्य में हितों का टकराव (Conflict of Interests) हो जाता है जो निजी क्षेत्र के लिए घातक है।

सरकार के प्रयास

- हाल ही में भारत सरकार ने विविध क्षेत्रों के लिए स्वदेशी उत्पादन हेतु कई सुधार घोषित किये। इन सुधारों में से रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण हेतु भी सुधार थे। सरकार ने नयी रक्षा खरीद प्रक्रिया (2020) को घोषित किया है। इस प्रक्रिया में इस बात पर बल दिया गया है कि देश के रक्षा

क्षेत्र के लिए आवश्यक हथियार एवं अन्य सामग्री का देश के अन्दर ही उत्पादन हो।

- सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) के पद का गठन किया है। सीडीएस के कई अन्य कार्यों के अलावा, यह भी कार्य है कि वह इस प्रकार की नीतियों को कार्यान्वित करायें जिससे कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सामान का देश में ही उत्पादन हो सके।
- सरकार ने हथियार प्रणाली की एक सूची जारी की है। इस सूची के तहत आने वाले रक्षा हथियारों को सिर्फ भारतीय कम्पनियों से खरीदा जायेगा। समय के साथ इस सूची को विस्तारित भी किया जायेगा।
- स्वदेशी रक्षा हथियारों की खरीद प्रक्रिया हेतु सरकार ने बजट में अलग से आवंटन किया है।
- भारत सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत होने वाले टेस्टिंग एवं ट्रायल (Testing and Trial) को और आसान बनाया है ताकि खरीद प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जा सके। इसके लिए प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (Professional Project Management Unit) को भी स्थापित किया गया है।
- विशेषज्ञों की राय को अपनाते हुए सरकार आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण (Corporatization) को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ओएफबी का निगमीकरण किया जायेगा तो इसमें कॉरपोरेट ग्रुप की तरह कार्य संस्कृति विकसित होगी और यह अपना बेहतर विकास सुनिश्चित कर सकेगी तथा अत्याधुनिक तकनीकों को अपना सकेगी।
- सरकार ने देश में ही रक्षा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने हेतु आटोमेटिक रूट से एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया है। इससे देश की कम्पनियाँ, विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर रक्षा सामानों का उत्पादन कर सकेंगी।

सुझाव

- सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में रक्षा अधिग्रहण के लगभग 200 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। (जिनका मूल्य लगभग 400 ट्रिलियन रुपये है)। अब सरकार को चाहिए कि जो रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव अपने शुरूआती स्तर पर हैं, उनका पुनर्निरीक्षण किया जाये और जहाँ-जहाँ हो सके वहाँ स्वदेशी रक्षा हथियारों की खरीद को बढ़ावा दिया जाये।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ को रक्षा अधिग्रहण के समय तीनों सेनाओं (थल, वायु और जल) को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रक्षा खरीद में दोहराव से बचा जा सके अर्थात् एक ही सामान को तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग न खरीदा जाये।
- यदि सरकार विदेश से रक्षा हथियारों को आयात करती है तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि उससे संबंधित अन्य उपकरणों का भारत में ही निर्माण हो। इसके अतिरिक्त, विदेशी रक्षा समझौते के कुछ हिस्से को भारत में विनिर्मित करने हेतु शर्त रखी जा सकती है, यथा-राफेल विमान समझौते आदि।
- सरकार को रक्षा क्षेत्र से संबंधित दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (Long-term Integrated Perspective Plan) को घोषित करना चाहिए। इसमें यह बताया जाये कि भारतीय सेना को आगे आने वाले वर्षों में किस तरह के और कितने रक्षा हथियारों एवं अन्य सामग्री की जरूरत है। इससे देशी रक्षा कम्पनियाँ अपनी क्षमता को समय रहते विकसित कर पायेंगी।
- सरकार को रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी पारदर्शिता लानी होगी।

निष्कर्ष

- हम अपनी सुरक्षा को किसी दूसरे के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं, अतः सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जिससे कि सार्वजनकि व निजी क्षेत्र मिलकर भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकें।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

प्र. "जब कोई देश अपनी सुरक्षा हेतु विदेशी रक्षा उत्पादनकर्ताओं पर निर्भर होता है तो उसकी सुरक्षा से समझौता हो सकता है।" उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए।

03 कोविड–19 महामारी के दौरान कार्यस्थल पर सुरक्षा की चुनौती

चर्चा का कारण

- विश्व के कई देशों पर विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण लागू की गई तालाबंदी व अन्य सख्त पाबंदियाँ हटाने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जिससे वायरस के फिर से उभरने की आशंका भी गहरा रही है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न देशों की सरकारों से कार्यस्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध करने का आग्रह किया है।

परिचय

- कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया की सरकारों, नियोक्ता, श्रमिक और पूरे समाज को काम करने वाली जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरों में घटती दरों को बनाए रखने की क्षमता पर जोर दिया जा रहा है। कार्यस्थल पर स्वस्थ मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण इत्यादि से बचा जा सके।
- कोविड-19 के कारण कई तरह की अड़चने उत्पन्न हो गई हैं। कोरोना वायरस ने व्यवसायी जीवन की रूपरेखा की कायापलट कर डाली है। इन दिनों घर, नए कार्यालय का रूप ले चुका है। इंटरनेट नया मीटिंग रूम है। सहकर्मियों के साथ होने वाले ऑफिस ब्रेक्सी कुछ समय के लिए इतिहास बन चुके हैं।
- कोविड-19 संकट आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर थी जबकि रियल जीडीपी के आधार पर 11 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक थी और ग्रामीण मांग पिछले 40 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर थी। अतः अर्थव्यवस्था को लम्बे समय तक ठप नहीं रखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों के साथ-साथ सरकारों के समक्ष लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी चुनौतियाँ है।

कार्यस्थल पर उचित प्रबंधन कैसे

- दुनिया भर के देश कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और श्रमिकों को उनकी नौकरी पर लौटने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं।
- कार्यस्थलों पर बचाव व स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में ट्रेनिंग, शिक्षा व जानकारी परक सामग्री प्रदान की जाए जिनमें स्वच्छता बनाए रखने की आदतों का पालन करना भी शामिल हो।
- संक्रमण के संदिग्ध मामलों को अलग रखने के लिए इंतजाम किया जाए और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जाए व सभी कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ ।
- सबसे नाजुक हालात का सामना कर रहे कर्मचारियों व व्यवसायों की जरूरतों को भी रेखांकित किया जाना आवश्यक है, विशेषकर वे प्रवासी व घरेलू मजदूर जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बचाव व सुरक्षा उपायों पर उन्हें शिक्षा व प्रशिक्षण मुहैया कराना होगा, निजी बचाव सामग्री व उपकरण जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे। इसके समानांतर उनके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने व आजीविका के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता को संभव बनाने के प्रयास करने होंगे।
- इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर खतरों का आकलन किया जाए और सभी प्रक्रियाओं में निहित संक्रमण के जोखिमों की समीक्षा की जाए। कामकाज फिर शुरू होने पर भी ये समीक्षा जारी रखी जाए। कार्यस्थलों व कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप जोखिम पर काबू पाने के उपायों में बदलाव लाया जाए। इसके तहत कर्मचारियों, ठेकेदारों, ग्राहकों व अन्य लोगों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखना, कार्यस्थलों को हवादार बनाना और सतहों व अन्य स्थानों की नियमित साफ-सफाई के अलावा हाथ धोने की व्यवस्था अहम होगी।

चुनौतियाँ

- कम आय वाली नौकरियाँ (जैसे रसोइया, नर्स, किराने की दुकान के कर्मचारी आदि) कार्यस्थल से दूर रहकर नहीं की जा सकतीं और प्रायः देखा गया है कि ज्यादातर कम आय वाली नौकरियों में बीमारी के दिनों का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे ज्यादातर

लोगों के पास या तो बीमा नहीं होता या होता भी है, तो कम राशि का होता है। ऐसे अनेक लोगों के लिए खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके रखना वित्तीय बाधा के चलते असंभव हो सकता है।

- सरकार द्वारा लोगों को घर से काम करने, भीड़भाड़ से बचने, कोरोना से मिलते-जुलते लक्षणों की अनदेखी न करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। लेकिन व्यवसाय और रोजगार ऐसे हैं जिन्हें ना तो घर से किया जा सकता है और ना ही सरकार द्वारा दिये गये सभी दिशा-निर्देशों का हुबहु पालन किया जा सकता है।
- अगर कोरोना वायरस का संक्रमण स्थानीय स्तर पर होता है, तो आबादी का गरीब तबका, मसलन, ड्राइवर, घरेलू नौकर, प्रवासी मजदूर और अन्य लोग निश्चित रूप से भारी नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वे उतने शिक्षित नहीं हैं कि नए कोरोना वायरस के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हों।
- कार्यस्थल पर या खरीदारी करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है और वैसे लोगों से भी संक्रमण फैलता है, जिन्हें संभवत: पता नहीं होता कि वे संक्रमित हैं।

सरकारी प्रयास

- कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना जरूरी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सभी संस्थानों (सरकारी और प्राइवेट सेक्टर) के प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों द्वारा ऐप का इस्तेमाल किया जाए।

आगे की राह

- बिना किसी व्यवधान के कार्यस्थलों पर सुरक्षित वापसी के लिए निम्न शिफारिशों को अमल में लाया जा सकता है-
- कार्यस्थल पर संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से काम पर लौटने से पहले कर्मचारियों की जांच का प्रावधान होना चाहिये साथ ही कार्यस्थल पर आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए और इस महामारी के समय में एहतियात बरतने चाहिए।
- संक्रामक महामारी के फैलने के दौरान, हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा जिस तरह करते हैं उसी से समुदायों की सुरक्षा व व्यवसायों की सहन-क्षमता निर्धारित होगी।
- पेशेवर सुरक्षा व स्वास्थ्य उपाय अमल में लाकर ही हम कर्मचारियों, उनके परिवारों, और बड़े समुदायों की जिंदगियों की रक्षा कर सकते हैं, कामकाज जारी रखना सुनिश्चित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से उबर सकते हैं।
- जोखिम पर नियंत्रण पाने के उपायों में कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप बदलाव करना अहम होगा, खासकर अग्रिम मोर्चे पर डटे कर्मचारियों के लिए ऐहतियाती उपाय ध्यान में रखने होंगे। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, नर्से, डॉक्टर, आपात स्थिति के लिए नियुक्त कर्मचारी और खुदरा भोजन व्यापार व साफ-सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं।
- हम जानते हैं कि कोविड-19 एक नया वायरस है। इसका अब तक कोई टीका नहीं बना है। लेकिन बुनियादी स्वच्छता और रोकथाम के उपाय द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रमुख सुझाव दीजिये।

04 मनरेगा के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच भारत में लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिक अपने गांवों में लौट रहे हैं। कोरोना संकट के बीच आने वाले दिनों के लिए श्रम शक्ति में सुधार से जुड़े सवाल भी उठे हैं और संघीय ढांचे वाले भारत के लिए विकास कार्यक्रमों और नीतियों पर नये सिरे से चिंतन और क्रियान्वयन की जरूरत भी आ पड़ी है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि यह मनरेगा के पुनरुद्धार के लिए बेहतर समय है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिये अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

परिचय

- कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा का भी कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया। मजदूरों की माली हालत को देखते हुए और लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत तालाब बनाना, कुएं खोदना, बागबानी से जुड़ी गतिविधियां आदि के कार्य धीरे-धीरे शुरू करवाये हैं।
- साथ ही सरकार का जोर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत निजी संपत्ति को बढ़ावा देने पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा की बकाया देनदारी पूरी करना शुरु कर रही है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष में मनरेगा में 8 करोड़ लोग पंजीकृत हुए हैं।
- श्रम मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों को सुझाव दिया है कि वो डीबीटी के जरिए निर्माण क्षेत्र के कामगारों के खातो में उस सेस फंड से जो लेबर वेलफेयर बोर्ड ने इकट्ठा किया था, खर्च करें। इस सेस फंड में 52,000 करोड़ इकट्ठा है। करीब 3.5 करोड़ निर्माण क्षेत्र में कामगर इन बोर्डों में रजिस्टर्ड हैं।
- जिन इलाकों में कोविड-19 संक्रमण (Covid-19 Pandemic) के नये मामले कम आ रहे हैं या जहाँ अब कोरोना पर अपेक्षाकृत काबू पा लिया गया है, उन क्षेत्रों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

मनरेगा योजना

- मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है, इससे पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (एनआरईजीए) नरेगा के नाम से जाना जाता था।
- केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को की थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। इस योजना को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन करके इसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया। मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है।
- इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नगद भुगतान की व्यवस्था विशेष अनुमति लेकर की जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-
  - जल संरक्षण
  - सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
  - बाढ़ नियंत्रण
  - भूमि विकास
  - विभिन्न तरह के आवास निर्माण
  - लघु सिंचाई
  - बागवानी
  - ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
  - कोई भी ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है। अब तक सरकार मनरेगा मजदूरों को रोज की मजदूरी के तौर पर 182 रुपये देती थी, जो अब बढ़कर 202 रुपये हो गया है।
- मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी परामर्श एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी कि लॉकडाउन की अवधि में दिशानिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए।

- कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी की हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कैसे यथोचित आपसी दूरी, मुँह पर मास्क और अन्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए मनरेगा के तहत काम किया जाएगा।
- गृह मंत्रालय ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इन कार्यों में प्राथमिकता सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कामों को ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न केंद्र और राज्य स्तरीय योजनाएं भी कार्यान्वित की जा सकेंगी और उनका समायोजन मनरेगा के तहत होगा।

चुनौतियाँ

- 13 मई तक 14.62 लाख व्यक्ति प्रतिदिन (पर्सन-डे) का काम उत्पन्न हुआ, साथ ही मनरेगा के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त 2.33 करोड़ मनरेगा का काम मांगने वालों को 13 मई तक काम दिया गया। सरकार का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले 40-50 फीसदी ज्यादा व्यक्ति मनरेगा के तहत नामांकित किए गए।
- उपर्युक्त आँकड़े तो सरकार की बेवसाइट से मेल खाते हैं, लेकिन 40-50 फीसदी ज्यादा लोग मनरेगा के तहत नामांकित किए गए ये बात उनकी ही बेवसाइट पर नहीं दिखती।
- सरकारी आँकड़ों के मुताबिक मार्च महीने तक तकरीबन 18 करोड़ 19 लाख 'व्यक्ति प्रतिदिन' काम हुआ था, जो अप्रैल-मई में 13 करोड़ 60 लाख व्यक्ति प्रतिदिन रह गया है।
- पिछले पांच साल से मनरेगा का बजट लगभग एक सा ही रहा है। औसत देखें तो ये लगभग 60 हजार करोड़ का है। अगर सरकार ये कह रही है कि अब तक 10 हजार करोड़ खर्च हो गए तो ये कोई नई सूचना नहीं है। पिछले साल के बकाया चुकाने और नए साल के काम का पैसा देने में ये खर्च तो होना ही था।
- भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल के महीने में पिछले पांच सालों में सबसे कम काम हुआ है। साल 2015 को छोड़ दिया जाए तो ये पिछले पांच सालों में सबसे कम है और सरकारी दावे के बिलकुल उलट भी।
- मनरेगा के कामों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन जमीन पर इसके पालन में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने का काम ग्राम सभाओं से पहले पास करना होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ग्राम सभाएँ बैठ नहीं पा रही हैं और इस वजह से काम की मांग ही नहीं हो पा रही है।
- सरकारी आदेशों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोने की बात तो की गई है, लेकिन इसको ग्राम पंचायतों के स्तर पर अमल में कैसे लाया जाए, यह भी बड़ी चुनौती है।

राज्यों का प्रदर्शन

- सरकारी बेवसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक मई के महीने में मनरेगा के तहत काम देने की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है।
- सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश आदि हैं। अरूणाचल प्रदेश में तो मई में एक भी रोजगार नहीं दिया गया। उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें रोजगार मिलने की शुरूआत हुई है, लेकिन उसकी दर बहुत कम है।
- मनरेगा की आधिकारिक बेवसाइट पर दर्ज आँकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मजदूरी दर केरल सरकार देती है और सबसे कम राजस्थान सरकार देती है।

आगे की राह

- साल 2017 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में छपे एक लेख के मुताबिक, मनरेगा ने ग्रामीण भारत में लोगों की कमाई पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन में भी मदद मिली है।
- सरकार ना केवल उन लोगों को काम मुहैया कराए जो मजदूर मनरेगा साइट पर काम के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि उन्हें नगद भुगतान की भी व्यवस्था कराए। इसके अतिरिक्त सरकार मनरेगा मजदूरों के साथ-साथ प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का हल भी मनरेगा में काम दे कर, कर सकती है। जो प्रवासी मजदूर अभी घर लौटे हैं, उनके मनरेगा कार्ड बनवा कर उन्हें भी काम दिया जाए।
- कोविड-19 से उत्पन्न हुई वर्तमान परिस्थितियों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे न केवल मजदूरों को काम और पैसा मिलेगा बल्कि सामुदायिक और स्थाई परिसम्पत्तियों का भी निर्माण होगा जिनका सीधा संबन्ध कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली और रेशम कीट पालन आदि से है। इस महामारी में मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारने के लिये मनरेगा को रामबाण औषधि की तरह देखा जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 से उत्पन्न हुई वर्तमान परिस्थितियों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट ग्रामीण भारत में सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे न केवल मजदूरों को काम और पैसा मिलेगा बल्कि सामुदायिक और स्थाई परिसम्पत्तियों का भी निर्माण होगा। चर्चा कीजिये।

05 कृषि क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की समीक्षा

चर्चा का कारण

- हाल के दिनों में भारत सरकार ने भारत में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह हाल ही में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज का एक हिस्सा है। साथ ही केन्द्रीय केबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है।

परिचय

- गौरतलब है कि वित्त मंत्री के पैकेज में 11 प्रमुख बिंदु थे, जिनमें से आठ विविध मदों से संबंधित थे,इसमें कृषि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये से लेकर मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये और टमाटर, प्याज, आलू और अन्य फलों और सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
- किसानों को समर्थन देने के लिए एक ही पैकेज के तहत कृषि से संबंधित दो महत्वपूर्ण उपायों की भी घोषणा की गई है-
  - रबी फसल के बाद, खरीफ फसल के खर्च के लिए कृषि ऋण देने वाले आरआरबी और सहकारी बैंकों को सक्षम करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा होगी।
  - किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ PM-KISAN लाभार्थियों को शामिल करके कृषि क्षेत्र को ऋण प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

- सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी जिसके अंतर्गत अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को डि-रेगुलेट कर दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय आपदाओं जैसे अकाल या बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में वृद्धि के साथ स्टॉक सीमा लागू की जाएगी।
- किसानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ जोड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा जिससे किसानों के लिए जोखिम रहित खेती, निश्चित आय और गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए।

- 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन कर एक केंद्रीय कानून लाया जाएगा, जिससे कि किसानों को एपीएमसी मंडी यार्ड के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेचने की अनुमति दी जा सके और अनुबंध के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करके बाधा मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार किया जा सके।

इसे निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा विस्तार से समक्षा जा सकता है-

- 1955 के पहले ECA की जड़ें 1943 के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में थीं, जब भारत अकाल की मार झेल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का सामना कर रहा था। फिर 1960 के दशक के मध्य तक लगातार सूखे की मार से प्रभावित भारत को अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा था।
- परन्तु वर्तमान में भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और चीन के बाद गेहूं और चावल दोनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- लेकिन हमारा कानूनी ढांचा 1950 के दशक का है, जो भंडारण में निजी क्षेत्र के निवेश को हतोत्साहित करता है, क्योंकि ईसीए किसी भी व्यापारी, प्रोसेसर या निर्यातक पर स्टॉक सीमाएं लगा सकता है। नतीजतन, देश में भंडारण सुविधाओं का अभाव है।
- जब किसान अपनी उपज को बाजार में लाते हैं, तो वहां की फसल अधिकता के कारण अक्सर कीमतें गिर जाती हैं। यह किसानों के लिए बहुत कष्टकारी होता है। इसके अतिरिक्त कमजोर मौसम के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। इस तरह भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण दोनों पर भारी बोझ पड़ता है।

प्रस्तावित सुधार के लाभ

- प्रस्तावित सुधार को अगर सही अर्थों में लागू किया जाता है, तो यह इस अवरोध को हटा देगा और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को संबंधित मूल्य में स्थिरता को लाने में मदद करेगा। साथ

ही यह भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि-उपज की बर्बादी को भी रोकेगा।

- प्रस्तावित सुधार, जो किसानों को एपीएमसी यार्ड के बाहर किसी को भी बेचने की अनुमति देता है, वह खरीदारों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा लाएगा, मण्डी शुल्क और बिचौलियाँ को कम करेगा साथ ही अन्य उपकरों को कम करेगा, जो कई राज्य सरकारें APMC बाजारों पर लगा रही हैं।
- अंतर-राज्यीय व्यापार में बाधाओं को दूर करने और कृषि-वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाने से, इस कानून द्वारा कीमतों में बेहतर स्थानिक एकीकरण हो सकता है।
- इससे किसानों को अधिशेष उपज के साथ बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और कम कीमतों वाले क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
- तीसरा प्रस्तावित सुधार ,बुवाई के समय किसानों को एक मूल्य के आश्वासन के साथ खेती में उन्हें आगे की कीमतों के आधार पर फसल संबंधित फैसले लेने में मदद करेगा।
- आम तौर पर, हमारे किसान पिछले साल की कीमतों को देखते हैं और उसी के अनुसार बुवाई के फैसले लेते हैं। नई प्रणाली उनके बाजार जोखिमों को कम कर सकती है।

समस्याएं

- वास्तविक रूप से देखा जाए तो कृषि विपणन में सुधार, पहले की जा चुकी घोषणाओं की पुनरावृति ही है, उदाहरण स्वरूप APMC पर पहला व्यापक मॉडल अधिनियम, 2003 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद और सुधारों के लिए इसी तरह के प्रयासों को 2007, 2013 में और वर्तमान सरकार द्वारा 2017 के अंत में प्रस्तावित किया गया था।
- 17 से अधिक राज्य सरकारों ने, एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया है ताकि इसे अधिक उदार बनाया जा सके। परन्तु वास्तव में, राज्यों में मंडियों के नियम और कार्यप्रणाली में बहुत अंतर है।
- मंडियों के साथ समस्या प्रति विनियमन और मंडियों की संरचना नहीं है, बल्कि बाजारों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप है।
- किसानों को पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिलने वाली एकमात्र अड़चन का कारण एपीएमसी अधिनियम का त्रुटिपूर्ण होना है। 80% से अधिक किसान, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं, अपनी उपज को एपीएमसी मंडियों में नहीं बेच पाते हैं।
- हालांकि इस सरकार की अधिकांश योजनाएं, जिसमें 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की परियोजना और 2019 तक 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम शामिल है, की सफलता दर 50 प्रतिशत से भी कम है।

आगे की राह

- यदि सरकार किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना चाहती है, तो उसे अर्थव्यवस्था में मांग बनाने के लिए राजकोषीय खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सरकार को आवश्यक सुधारों से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों या अन्य हितधारकों से उचित परामर्श लेनी चाहिए।
- प्रोसेसर, निर्यातक और संगठित खुदरा विक्रेताओं जैसे बड़े खरीदारों का व्यक्तिगत रूप से किसानों के पास जाना थोडा मुश्किल है। इसलिए, स्थानीय कमोडिटी हितों के आधार पर एफपीओ का निर्माण, एक समान गुणवत्ता, और कम लेनदेन लागत सुनिश्चित करेगा साथ ही किसानों से बड़े लेनदारों की लेनदेन की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- सरकार ने निश्चित रूप से सही राह पर चलने की इच्छा दिखाई है और तारीफ की हकदार है। हालाँकि कृषि के लिए 1991 का आर्थिक सुधार वर्तमान नीति में बदलाव का एक अग्रदूत हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि इसे लागू किया जाये, इसके क्रियान्वयन पर हर संभव जांच होनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा कृषि क्षेत्र को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की महत्ता पर विस्तार से चर्चा करें।

06 ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हेतु सरकार की नई पहल

चर्चा का कारण

- हाल ही में लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान का सामना करने हेतु सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता पैकेज के पहली किश्त में बिजली वितरण कंपनियों के लिए लगभग 90,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया, जिससे कि बिजली क्षेत्र में पहले से चले आ रहे वित्तीय अनिश्चितता का भी समाधान हो सके।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों, ब्रॉडकास्ट कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों का भुगतान करने के लिए इस एकमुश्त तरलता संचार का उपयोग किया जाएगा।
- राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वित्त कंपनियों जैसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड द्वारा डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को दिए गए ऋण के लिए केन्द्र सरकार गारंटर के रूप में कार्य करेगा।
- वर्तमान में लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति के कारण वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली की मांग में गिरावट आयी और बिजली की मांग का भार, घरों में स्थानांतरित हो गया।

भारत में बिजली क्षेत्र का कार्यान्वयन

- इसे मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों उत्पादन (जनरेशन), स्थानांतरण (ट्रांसमिशन) और वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) में विभाजित किया जा सकता है:

जनरेशन सेक्टर:

- भारत में 368.69GW की स्थापित,बिजली उत्पादन क्षमता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1,75,528 मेगावाट की पीक लोड डिमांड काफी हद तक पूरी भी हुई है।
- थर्मल, हाइड्रो या रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांटों में बिजली पैदा की जाती है, जो कि सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड या निजी कंपनियों जैसे कि टाटा पावर, अडानी पावर या रिन्यूएबल कंपनियों जैसे रेनेवे पावर या ग्रीनको द्वारा संचालित की जाती हैं।

ट्रांसमिशन सेक्टर

- पावर प्लांटो से उत्पन्न बिजली, फिर एक जटिल ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम के माध्यम से स्थानांतरित होती है, जिसमें बिजली सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइन शामिल हैं। इनके माध्यम से बिजली अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं।
- वर्तमान में भारत के क्षेत्रीय ग्रिड (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी) एक राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत हैं। ट्रांसमिशन सेगमेंट में बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों, जैसे पावरग्रिड कॉर्प का प्रभुत्व है, जो ग्रिड का संचालन करते हैं।
- प्रत्येक राज्य में निजी ट्रांसमिशन कंपनियों के साथ एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) होती है जो अंतर-राज्य स्थानांतरण परियोजनाएं (इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट) स्थापित करने का कार्य करती है।
- इसके अलावा इसमें ग्रिड सुरक्षा और विद्युत वोल्टेज में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नेशनल, रीजनल और स्टेट डिस्पैच सेंटर (NLDC, RLDC, SLDC) के साथ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) जैसी कंपनियां काम करती हैं।

डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर

- इसमें विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं (उद्योग, वाणिज्यिक, कृषि, घरेलू आदि) को ऊर्जा की आपूर्ति और वितरण का कार्य करती हैं।
- यह क्षेत्र वित्तीय और परिचालन स्थिरता के मामले में सबसे कमजोर कड़ी है।
- डिस्कॉम अनिवार्य रूप से बिजली खरीद अनुबंध (पॉवर परचेज एग्रीमेंट/PPA) के माध्यम से उत्पादन करने वाली कंपनियों से बिजली खरीदता है, और फिर अपने उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करता है।
- परन्तु बारहमासी नकदी संग्रह की कमी के कारण तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न होने से डिस्कॉम, जनरेटर से

अपनी ऊर्जा खरीद के लिए समय पर भुगतान करने में असमर्थ हो जाते है। यह कमी उधार, सरकारी सब्सिडी, और संभवतः कम खर्च के माध्यम से पूरी की जाती है।

- **मानव विकास सूचकांक (एचडीआई):** भारत में पावर सेक्टर की वित्त कंपनियां
- आरईसी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नवरत्न कंपनी है।
- 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने अपने परिचालन के क्षेत्र में पचास वर्षो से अधिक समय पूरा किया है। यह पावर-सेक्टर वैल्यू चेन में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, आरईसी पावर सेक्टर में भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), सौभाग्य, आदि के लिए नोडल एजेंसी भी है।
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) एक अनुसूची नवरत्न सीपीएसई है और देश में एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गये अन्य कदम

- केंद्रीय एफआरपी योजना, 2012 को राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। इसमें सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉम को गतिशील बनाने और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा की गयी थी।
- इसके अलावा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, नवंबर 2015 में शुरू की गई। यह योजना समग्र दक्षता और वित्तीय बदलाव में सुधार पर ध्यान देने के साथ, डिस्कॉम के वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए नवीनतम प्रयास है।

चुनौतियाँ

- भारत में, कृषि और घरेलू कार्यों के लिए बिजली के लिए जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वह उद्योगों (कारखानों) और वाणिज्यिक क्षेत्रों (दुकानों, मॉल) को दी गयी सब्सिडी से काफी अधिक होती है, इसे ही क्रॉस-सब्सिडी कहते हैं। इससे उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित होती है।
- भारत की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, लगभग 1149 किलोवाट-घंटा (kWh), दुनिया में सबसे कम है। इसकी तुलना में, दुनिया की प्रति व्यक्ति खपत 3600 kWh है।
- डिस्कॉम्स के लिए खरीदी गई बिजली और आपूर्ति की लागत के बीच अंतर अभी भी ज्यादातर राज्यों में व्याप्त है।
- घरेलू बिजली की खपत, भारत के औसत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे का 21.4% योगदान देती है। लॉकडाउन में घरेलू खपत में वृद्धि के परिणामस्वरूप एटीएंडडी (ट्रांसमिशन और वितरण) घाटे में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- डिस्काम कंपनियां लागत-कुशल बिजली खरीद कर व सही बिल का प्रावधान कर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।
- साथ ही उपभोक्ताओं से बिल का भुगतान समय पर एकत्र करने का कठोर प्रावधान होना चाहिए जिससे जनरेटर को समय पर भुगतान संभव हो सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. कोविड-19 महामारी के दौरान बिजली आपूर्ति में आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करें।

07 वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया की भूमिका

संदर्भ

- वर्तमान समय में 'सोशल मीडिया सक्रियता' आज की पीढ़ी के लिए एक पर्याय बन गई है। आज लगभग तीन में से दो भारतीय अलग-अलग सोशल नेटवर्किंग साइटों जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब, पिन्ट्रेस्ट आदि पर ऑनलाइन रहकर अपना समय बिताते हैं। लगभग 100 मिलियन भारतीय, जो कि जर्मनी की आबादी से अधिक हैं, हर दिन सोशल मीडिया से सम्बन्धित कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सूचना के प्राथमिक स्रोत बन गए हैं।

पृष्ठभूमि

- सोशल मीडिया वर्तमान समय में सूचनाओं के व्यापक संचार का लोकप्रिय माध्यम बन गया है जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मोर्चे पर अलग-अलग किस्म का बदलाव दिखाई दे रहा है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में पढ़नें वाले छात्र अपनी शैक्षिक दक्षता और संचार कौशल में सुधार करने के लिये सोशल माध्यमों के द्वारा अपने सहपाठियों और शिक्षकों से सहयोग ले रहे हैं। आज ज्यादातर बेरोजगार युवा अपने कैरियर और व्यापार के सिलसिले में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर लिंकडिन जैसी सोशल वेबसाइटों का प्रयोग कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं के समय में आपदा प्रबंधन और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवकों को अपने राहत अभियान से जोड़ते हैं जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जरूरतमंदों तक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
- सामाजिक सम्प्रेषण के नए-नए माध्यम सामने आ रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि सोशल मीडिया का उपयोग करना हमारे दैनिक जीवन का अपरिहार्य हिस्सा बन गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है।

सोशल मीडिया का विकास

- पहली बार नब्बे के दशक में सोशल मीडिया की चर्चा शुरू हुई, जब वर्ष 1994 में पहली सोशल मीडिया जीओ साईट के रूप में सामने आयी। इसका उद्देश्य एक ऐसी वेबसाईट बनाना था जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों एवं भावनाओं को साझा कर सकेंगे।
- शुरुआत में इसे कुछ शहरों में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था परन्तु आज यह सम्पूर्ण विश्व में निर्विवाद रूप से लोकप्रिय हो गया है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, माय स्पेस, पिंटरेस्ट, आदि तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने सारी दुनिया को एक तरह से सूत्र में बाधने का काम किया है।
- सोशल साइट्स के उपयोगकर्ताओं की इन माध्यमों के प्रति दीवानगी इस हद तक बढ़ी हुई है कि एक सर्वेक्षण अनुमान के अनुसार भारत में सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता, प्रतिमाह औसतन फेसबुक पर 405 मिनट, पिंटरेस्ट पर 89 मिनट, ट्विटर पर 21 मिनट, लिंक्डइन पर 17 मिनट व गूगल प्लस पर 3 मिनट बिताते हैं।
- एक अनौपचारिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में फेसबुक व गूगल प्लस, ब्राजील में गूगल प्लस, फ्रांस में 'स्काईराक', द. कोरिया में 'साय वर्ल्ड', चीन में 'क्यू क्यू' तो रूस में 'वेकोनेटाकटे' साइट्स लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता से आकर्षित होकर अब भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग भी अपने विचारों को साझा करने के लिए सोशल साइट्स इजाद करने लगे हैं।

प्रेस एवं सोशल मीडिया

- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में प्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रेस की अहम् जिम्मेदारी है कि देश और लोगों की समस्याओं को सामने लाने के साथ-साथ सरकार के कामकाज पर नजर रखे।
- परन्तु सरकारें अपने मंतव्य और एजेंडा को लागू करने के लिए प्रेस को अपने हित में साधने की कोशिशें करती हैं। यह तथ्य न केवल भारत के सम्बन्ध में सही है वरन विश्व भर में भी यह होता रहा है। सोशल मीडिया की स्थिति इस मामले में

भिन्न है। प्रथम तो ये माध्यम सीधे-सीधे सरकार के नियंत्रण में नहीं आते और दूसरा इनकी व्यापकता इतनी अधिक होती है कि इन पर प्रतिबन्ध लागू करना बहुत आसान काम नहीं होता है, हालाँकि आज विश्व के कतिपय देशों में सोशल मीडिया प्रतिबंधित है।

- भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है वरन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 (1) के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभिन्न हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अतः सोशल मीडिया के उपयोग में भी 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की यही व्याख्या लागू होती है।

सोशल मीडिया और महामारी

- वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से लगाये गये लॉक डाउन (LockDown) के कारण हमारी दिनचर्या यकीनन प्रभावित हुई है। यद्पि टेलीविजन आदि ऐसे कुछ माध्यम गिनाए जा सकते हैं, जो मनोरंजन की जरुरत को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं परन्तु सामाजिक मेलजोल और संपर्क की जरूरतों को संबोधित नहीं कर सकता है, इस कमी को पूरा करने के लिए 'सोशल मीडिया' का उपयोग इस अवधि में बढ़ा है और यह स्वाभाविक भी है।
- कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता सन्देश, बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल दिखलायी देता है। इस अवधि में सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए महामारी के दृष्टिगत बहुत से ऑनलाइन कोर्स संचालित हो रहे हैं। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के सन्दर्भ में अल्पकालिक कोर्स सोशल मीडिया में बहुप्रचारित एवं लोकप्रिय हो रहे हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक निर्देश जारी किया कि कोविड-19 महामारी के संबंध में एक दैनिक बुलेटिन प्रणाली को सभी मीडिया एवेन्यू के माध्यम से सरकार द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया और फोरम शामिल हैं ताकि लोगों के संदेह को दूर किया जा सके और नकली समाचारों की जांच की जा सके।
- डब्ल्यूएचओ और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं ताकि जनता को महामारी के प्रकोप के बारे में सूचित किया जा सके और इसको नियंत्रित किया जा सके।

- इसमें कोई मत भिन्नता नहीं हो सकती है कि महामारी के दौर में सोशल मीडिया के उपयोग एवं काम करने के तौर-तरीकों में बहुत बदलाव आए हैं। परन्तु यह सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं के आदान-प्रदान करने का काम ही नहीं कर रहा वरन बहुत बार अफवाह फैलाने, चरित्र हनन, डराने-धमकाने, घृणा और विद्वेष फैलाने के के लिए तीव्र माध्यम के रूप में भी व्यवहृत किया जाने लगा है।

चुनौतियाँ

- अपनी अत्यधिक महत्ता के बावजूद मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिये चर्चा में रहता है। दरअसल वर्तमान में सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बाँटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है।
- सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाकर लोगों को भीड़ द्वारा मार देने की घटनाएँ आम हो गई हैं। यहाँ तक की कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में भी ये घटनायें प्रभावी रही।
- हाल ही में, सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को घर ले जाने के लिए संचालित की जा रही विशेष ट्रेनों के बारे में गलत सूचनाएं बताई गई थीं, जो वायरल हो गई, जिससे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य डर की स्थिति पैदा हो गयी।
- गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का मामला केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि, दुनिया के दूसरे देश भी इस समस्या से खासा परेशान हैं। एशिया से लेकर पश्चिमी देश तक इस समस्या से दो-चार हो रहे हैं। कई देशों ने इसके लिए कानूनी प्रावधान भी किए हैं-
  - मलेशिया में इसके लिये दोषी व्यक्ति को 6 साल की सजा देने का प्रावधान है, जबकि थाईलैंड में सात साल की सजा का प्रावधान है।

- पड़ोसी देश पाकिस्तान में गलत खबर के जरिये किसी की भावना को ठेस पहुँचाने वाले व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है।
- इसके अलावा सिंगापुर, चीन, फिलीपिंस आदि देशों में भी गलत खबरों पर रोक लगाने के लिये सख्त कानून बनाए गए हैं।

- विश्व आर्थिक मंच ने भी अपनी जोखिम रिपोर्ट में बताया है कि सोशल मीडिया के जरिये झूठी सूचना का प्रसार उभरते जोखिमों में से एक है। लेकिन, सवाल है कि एक प्रगतिशील समाज और देश के लिये यह कितना उचित है कि वह आए दिन गलत सूचनाओं को बनाए और साझा करे? यकीनन, यह न केवल हमारी प्रगति की राह में रुकावट है बल्कि, हमारे प्रगतिशील होने के दावों पर भी सवालिया निशान लगाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारी सरकारें इसमें दखल दें और इस पर लगाम लगाने की भरसक कोशिश करें।
- एक अनुमान के मुताबिक, हर 40 मिनट में फेसबुक से संबंधित एक पोस्ट को हटाने की रिपोर्ट की जा रही है। दरअसल, अधिकतर व्यक्ति बिना सोचे-समझे ही किसी भी पोस्ट को साझा कर देते हैं। और इनके व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई सोशल ग्रुप बने होते हैं, जो गलत तथ्यों को आगे प्रेषित करने का कार्य करते है।

आगे की राह

- सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा ऐसा है जिसकी अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। गलत विचारों को साझा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में इसके खिलाफ कड़े कानून की सख्त जरूरत है।
- देश जैसे-जैसे आधुनिकीकरण के रास्ते पर बढ़ रहा है चुनौतियाँ भी बढ़ती ही जा रही हैं। लिहाजा, भारत को जर्मनी जैसे उस कठोर कानून की जरूरत है जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिये बनाया गया हो।
- हालाँकि भारत भी इस तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है लेकिन देखने वाली बात होगी कि यह कितना कारगर साबित हो सकता है।
- 'सोशल मीडिया इंटेलीजेंस' के जरिये सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करते रहना और शिकायत पर उचित कार्रवाई करना भी एक उपाय हो सकता है। इससे आपत्तिजनक सामग्रियों को बिना देर किये ही हटाया जा सकेगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा मिलकर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन कर भी इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- जर्मनी में यह प्रावधान है कि कंपनियों को हर 6 महीने बाद सार्वजनिक रूप से बताना होगा कि उन्हें कितनी शिकायतें मिलीं और उन पर किस प्रकार संज्ञान लिया गया। इसके अलावा, उन्हें उस यूजर की पहचान भी बतानी होगी, जिस पर लोगों की मानहानि या गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया गया है। जानकारों का मानना है कि यह कानून लोकतांत्रिक देशों में अब तक का सबसे कठोर कानून है।
- गलत सूचनाओं को हटाने के लिए सोशल मीडिया दिग्गजों को मजबूत इन-हाउस मैकेनिज्म लागू करना चाहिए।
- सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा गलत सूचनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने और उसे सुधारने के उपायों के लिए शोधकर्ताओं को नियंत्रित डेटा तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।
- सरकार द्वारा गलत/अनैतिक सूचनाओं पर अंकुश लगाकर सूचना प्रणालियों के लचीलेपन की रक्षा करना अब समय की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

प्र. वर्तमान समय में सोशल मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कैबिनेट ने एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' को मंजूरी दी।

2. पृष्ठभूमि

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को कोविड-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के एक निर्दिष्ट उपाय के रुप में बनाया गया है।
- योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा उधारकर्ता के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपय की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले और इस वर्ष 29 फरवरी तक 25 करोड़ रुपए के बकाया क्रेडिट वाले सभी MSME इस योजना के तहत पात्र होंगे।

3. लाभ

- योजना के तहत ऋण की अवधि 4 साल होगी और इसकी अधिस्थगन अवधि मूलधन पर एक साल होगी।
- योजना के तहत एनसीजीटीसी द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों(मेम्बर लेंडिग इंस्टिट्यूट) से कोई भी गारंटी राशि नहीं ली जाएगी।
- योजना के तहत ब्याज दर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25 फीसदी और गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिकतम 14 फीसदी होगी।
- मौजूदा अप्रत्याशित माहौल में अपना कामकाज जारी रखने में योजना के तहत एमएसएमई को मदद देने से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और इसे पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
- एमएसएमई को अपनी संचालन उत्तरदायित्वों को पूरा करने और व्यापार को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

4. एमएसएमई की नयी परिभाषा

- नई परिभाषा के तहत अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्न ओवर दोनों का उपयोग किया जायेगा।
- इसके अनुसार अब 1 करोड़ रुपये तक के निवेश और 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्न ओवर को माइक्रो यूनिट कहा जाएगा, 10 करोड़ रुपये के निवेश और 50 करोड़ रुपये के टर्न ओवर को स्माल यूनिट के रूप में और 20 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 100 करोड़ रूपये से अधिक के टर्न ओवर को मीडियम यूनिट कहा जाएगा।

02 ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि को प्रोत्साहन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण जारी अनिश्चितताओं के मद्देनजर एक अध्यादेश लाया है जो निवेशकों और किसानों को अनुबंध कृषि (Contract Farming) के लिए समझौते की अनुमति देता है।

2. प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के अनुसार, अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और प्रायोजकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है ।
- इसके लिए ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक 'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज' (Contract Farming and Services) समिति भी बनाई जाएगी। यह समिति सरकार को अनुबंध कृषि हेतु प्रचार करने और किसानों की दक्षता में सुधार लाने के लिये सुझाव देगी, साथ ही अनुबंध कृषि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा भी करेगी।
- गौरतलब है कि इस अध्यादेश में भूमि अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान प्रदत्त नहीं है, अर्थात भूमि या परिसर या अन्य ऐसी संपत्ति को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

3. अनुबंध कृषि क्या है

- अनुबंध कृषि खरीददार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है, जिसमें इसके तहत किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है।
- किसान कृषि अनुबंध किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ करता है। इस खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर खरीदता है। खास बात है कि किसान की उगाई फसल के दाम भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय किए जाते हैं।
- इसके अलावा खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी आदि का खर्च भी कॉन्ट्रैक्टर ही उठाता है। किसानों को खेती के तरीके भी कॉन्ट्रैक्टर ही बताता है। इसमें फसल की गुणवत्ता, पैदावार, दाम, फसल को बेचना पहले ही तय हो जाता है।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, खरीददार (जैसे-खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और निर्यातक) और उत्पादक (किसान या किसान संगठन) के बीच हुए फसल-पूर्व समझौते के आधार पर कृषि उत्पादन (पशुधन और मुर्गीपालन सहित) किया जाता है।

4. अनुबंध कृषि के लाभ

- किसानों को बाजार की अपेक्षा अधिक भाव मिलते हैं, साथ ही कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से किसान मुक्त रहता है।
- किसान को एक बड़ा बाजार मिल जाता है। बड़ी कंपनियों के साथ काट्रैक्ट होने पर खेती का काम बेहतर तरीके से होता है जिससे किसान को सीखने का अवसर मिलता है।
- काट्रैक्ट फार्मिंग से क्रेता प्रतिष्ठान को यह लाभ होता है कि कृषि उत्पाद की उपलब्धता के विषय में अनिश्चितता नहीं रहती।
- अनुबंध खेती में किसानों के साथ फर्में भी अपने कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी हानि को कम कर सकती हैं। साथ ही उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी निर्धारित कीमत पर प्राप्त कर सकती हैं।
- किसानों एवं कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों जैसे डेयरी, मछली पालना, मुर्गी पालन एवं सूअर पालन आदि को भी बढ़ावा देकर इनका लाभ उठाया जा सकता है।

5. अनुबन्ध खेती की कठिनाईयाँ

- अनुबन्ध खेती में काफी लागतें आती है जो अनावश्यक रूप से लाभ में कमी करती हैं। साथ ही अतिवृष्टि और अनावृष्टि तथा कीटों के प्रभाव से भी यदि फसल प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव भी लागतों के रूप में बढ़कर फर्म अथवा किसानों पर ही पड़ता है। अत: इसमें अनिश्चितता बनी रहती है।
- यदि कोई किसान अपनी भूमि का स्वामित्व स्थानान्तरित कर देता है तो अनुबन्ध खेती के अनुबन्ध को लागू कराने में फर्म को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- फसल की कीमत फसल के उगाने से पहले ही तय कर दी जाती है। अत: इसमें जोखिम की सम्भावना अधिक होती है और अनुबन्ध भंग पर कानूनी कार्यवाही के गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

6. आगे की राह

- चूंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के फायदे का सौदा है इसलिए इसे लेकर जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार किसानों को शिक्षित कर सकती है। कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के दायरे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलग रखना चाहिए।
- किसानों का शोषण नहीं हो इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। ठेके के तहत सभी कृषि उत्पादों का इंश्योरेंस कवर होने चाहिए। किसान और कंपनी के बीच अगर कोई विवाद होता है तो विवाद निपटाने के लिए अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए।

03 कॉयर जियो टेक्सटाइल्स

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स (Coir Geo Teñtiles) का उपयोग किया जाएगा।

2. कॉयर जियो टेक्सटाइल्स क्या है

- कॉयर जियो टेक्सटाइल्स एक प्राकृतिक पारगम्य फैब्रिक है, यह मजबूत होने के के साथ साथ अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है व किसी भी सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) के हमले से मुक्त है।
- कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग ढलानों/ तटबंधों, नदी तटबंधों, खान के ढेर वाले ढलानों का स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
- इसके तहत नारियल की भूसी से बने कार्बनिक कपड़ों को सड़कों और लॉन सहित ढालू सतहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कॉयर फाइबर के आपसी जुड़ाव के कारण यह पानी को अवशोषित कर ले और जरूरत से अधिक पानी को निकाल दे।
- केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कॉयर फाइबर के वैकल्पिक उपयोग का पता लगाने के लिए प्रयासरत था। इस निर्णय से कॉयर उद्योग को विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में बढ़ावा मिलेगा।

3. प्रमुख बिन्दु

- सड़क निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई की नई प्रौद्योगिकी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावों के प्रत्येक बैच के सड़कों की कुल लम्बाई के 15 प्रतिशत में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्माण किया जाना है।
- इनमें से 5 प्रतिशत सड़कों का निर्माण इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाना है। आईआरसी ने अब ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स को मान्यता दी है।
- इन निर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई-III के तहत 5 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके किया जाएगा। तदनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके आंध्र प्रदेश में 164 किलोमीटर, गुजरात में 151 किलोमीटर, केरल में 71 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 328 किलोमीटर, ओडिशा में 470 किलोमीटर, तमिलनाडु में 369 किलोमीटर और तेलंगाना में 121 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- इस प्रकार 7 राज्यों में कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके 1674 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एक करोड़ वर्ग मीटर कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स की आवश्यकता होगी। इसकी अनुमानित लागत 70 करोड़ रु है।
- इस निर्णय से देश में कॉयर जियो -टेक्सटाइल के लिए एक बड़ी बाजार की संभावना बनेगी और कोविड-19 से प्रभावित कॉयर उद्योग के लिए यह एक वरदान सिद्ध होगा।

4. पहली बार कहां बनी कॉयर जियो टेक्साटाइल्स की सड़क

- इस तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले फ्री ट्रायल के रूप में केरल के कोन्नीस स्थित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था।
- कर्नाटक, केरल और तमिलनाडू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में जियो-टेक्सटाइल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट किफायती और संतोषजनक आई है। विदेशों में सड़कों को मजबूती प्रदान करने के लिए जियो-टेक्सटाइल का इस्तेमाल बहुतायत में होता है, लेकिन भारत में अभी इसका प्रचलन व्यापक स्तर पर शुरू नहीं हुआ है।

5. इंडियन रोड्स कांग्रेस

- इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है।
- आईआरसी की स्थापना दिसंबर, 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में जाना जाता है।
- इंडियन रोड्स कांग्रेस का उद्देश्य भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है।

04 कोणार्क सूर्य मंदिर एवं सौर ऊर्जा परियोजना

1. चर्चा का कारण

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना शुरू की है।

2. प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार ने ऊर्जा के आधुनिक उपयोग तथा प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल के संदेश को प्रकट करने और सौर ऊर्जा के महत्वा को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा में ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर को 'सूर्य नगरी' के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है।
- इस योजना में भारत सरकार की ओर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रूपये की सहायता सहित 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के साथ 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध सौर संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओआरईडीए) द्वारा किया जाएगा।
- यह योजना सौर ऊर्जा के साथ कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी।

3. सौर वृक्ष (solar tree)

- जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की मांग में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा जरूरत बनती जा रही है। देश में सौर शक्ति के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जमीन। इसी समस्या को देखते हुए 'सोलर पावर ट्री' को तैयार किया गया है।
- उदाहरण के लिए पांच किलोवाट सोलर पावर का उत्पादन करने के लिए लगभग 500 वर्ग फुट जमीन की आवश्कता होती है, लेकिन पांच किलोवाट का सोलर पावर ट्री लगाने के लिए चार वर्ग फुट की आवश्यकता होगी।
- सौर वृक्ष सामान्य वृक्ष जैसे ही होते हैं जिसमें पत्तियों के रूप में सौर पैनल लगे होते हैं तथा इसकी शाखाएँ धातु की बनी होती हैं।
- सौर वृक्ष के माध्यम से बहुत कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सोलर ट्री का प्रयोग 35 साल तक आसानी से किया जा सकता है।
- सौर वृक्ष को इस तरह तैयार किया जाता है कि एक पैनल की छाया दूसरे पैनल में नहीं पड़े। नदी के किनारे, सड़कों और समुद्र के किनारे इस पेड़ को लगाया जा सकता है। इसमें पैनलों को साफ करने के लिए ऊपरी भाग पर पानी का फब्बारा लगा होता है।
- इसके पैनल अधिक ऊंचाई पर लगे होते हैं इसलिए जमीन पर लगे पैनल की तुलना में अधिक धूप मिलती है। इससे ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि आईआईटी कानपुर और जर्मनी की केमनित्स यूनिवर्सिटी ने मिलकर सोलर ट्री विकसित की है। यह ऐसी उम्दा सोलर तकनीक है जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा नहीं होने देती।

4. कोर्णाक मंदिर

- कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है। इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था।
- इस मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। इस मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है।

05 पश्चिमी घाट का संरक्षण

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिमी घाटों से संबंधित पारिस्थितकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र(ईएसए) की अधिसूचना से जुड़े मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए छह राज्यों अर्थात केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

2. प्रमुख बिन्दु

- पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए 2010 में गठित माधव गाडगिल आयोग ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट के 64% को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया जाएगा।
- इस क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास को बरकरार रखते हुए पश्चिमी घाटों की जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था। कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट गाडगिल रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए पश्चिमी घाट के 64% क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के अंतर्गत लाने के बजाय सिर्फ 37% क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने की बात करती है।
- समिति ने सिफारिश की थी कि छह राज्यों -केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में आने वाले भौगोलिक क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

3. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्या हैं

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र भारत में संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होता है।
- इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना ताकि संरक्षित क्षेत्रों में शामिल नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- सरकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योग संचालन, निर्माण, खनन या किसी अन्य गतिविधि को प्रतिबंधित कर सकती है। विदित हो कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को ईएसजेड घोषित करने वाली अधिसूचनाएं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी की जाती हैं।

4. पश्चिमी घाट एवं उसका महत्त्व

- पश्चिमी घाट पर्वत शृंखलाएं भारत के पश्चिमी तट के साथ पहाड़ों की सुंदर श्रेणी का निर्माण करती हैं जो दक्कन के पठार को अरब सागर के साथ एक संकीर्ण तटीय पट्टी से अलग करती हैं। यह एक आभासी पर्वत शृंखला है क्योंकि यह दक्कन के पठार का खंडित विस्तार है ।
- यह विशेष पर्वत शृंखला ताप्ती नदी के दक्षिणी भाग से गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र के पास से शुरू होती है। पश्चिमी घाट पर्वत शृंखलाएं लगभग 1600 किमी की लंबाई को कवर करती हैं, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरती हैं
- पश्चिमी घाटों को सबसे अधिक पोषित पारिस्थितिक स्थलों में से एक माना जाता है। पश्चिमी घाट के मुख्य पारिस्थितिक तंत्रों में अम्बोली और राधानगरी में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, महाबलेश्वर और भीमशंकर में मोंटानेन सदाबहार वन, मुल्सी में नम पर्णपाती वन और मुंदुनथुराई में साफ जंगलों में शामिल हैं।
- पश्चिमी घाट पर्वत शृंखला के किनारे की सभी वनस्पतियाँ घास के मैदान, झाड़ियों से निचली ऊँचाई पर, शुष्क और नम पर्णपाती जंगलों से लेकर अर्ध-सदाबहार और सदाबहार वनों तक की विविधता प्रदान करती हैं।
- यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है।

5. पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर

- पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के मध्य से प्रायद्वीपीय भारत की चार प्रमुख नदियाँ होकर जाती हैं, जिसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट पर्वत शृंखला बंगाल की खाड़ी के समांतर चलती है।
- भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत शृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्रि कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ यह पर्वतीय शृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लम्बी है। विश्व में जैविकीय विवधता के लिए यह बहुत महत्वपपूर्ण है।

06 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित बैठक में "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में जिम्मेदार और सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना" को मंजूरी दी गई।

2. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

- मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुल 20050 करोड रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रूपए, राज्यों की हिस्सेदारी 4880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5763 करोड़ रुपए होगी।
- इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष के लिए लागू किया जायेगा।
- योजना के दो घटक होंगे, पहला केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम) और दूसरा केन्द्र प्रायोजित योजना (सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम)।
- केन्द्र प्रायोजित योजना को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
  - उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन
  - अवसंरचना और उत्पादन प्रबंधन
  - मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क

3. लाभ

- मत्स्य पालन क्षेत्र में 9 प्रतिशत की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मिट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
- वर्ष 2024 तक मछली पालन से जुडे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी
- मत्स्य पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल होगा।
- मत्स्य पालन के लिए आवश्यक अवसंरचना और मजबूत मूल्य शृंखला विकसित की जा सकेगी।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर बनेंगे।
- मत्स्य पालन के लिए गुणवत्तायुक्त बीज हासिल करने तथा मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को बढावा मिलेगा।
- मत्स्य पालन क्षेत्र तथा इससे जुड़े किसानों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी

4. भारत में नीली क्रांति का इतिहास और वर्तमान स्थिति

- भारत में, इसे 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सरकार ने मत्स्य किसान विकास एजेंसी (FFDA) को प्रायोजित किया था।
- 1992-97 से 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शुरू किए गए गहन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग को भी प्रोत्साहित किया गया था।
- समय के साथ, तूतीकोरिन, पोरबंदर, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में मछली पकड़ने के बंदरगाह स्थापित किए गए। हालाँकि आज तक, भारत उपलब्ध एक्वाकल्चर क्षमता के केवल कुछ अंश का ही उपयोग कर पा रहा है।
- इसलिए, नीली क्रांति 2.0 का ध्यान मत्स्य पालन के विकास और प्रबंधन पर है। यह अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री मत्स्य पालन जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, समुद्री मछली पकड़ना और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

5. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

- राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) को 2006 में मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना तथा एकीकृत और समग्र तरीके से मत्स्य विकास को समन्वित करना है।
- यह बोर्ड मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत काम करता है।

07 सोलर मिनिमम

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की गई है, वैज्ञानिक भाषा में इसे "सोलर मिनिमम" का नाम दिया गया है।
- माना जा रहा है कि सूर्य वर्तमान में अपने डाउनटाइम मोड पर है, कुछ रिपोर्टों से पता चला है कि इस साल लगभग 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, और अब तक सूर्य में बहुत कम सनस्पॉट दिखाई दिए है।

2. क्या है सोलर मिनिमम

- सूर्य का एक चक्र होता है जो औसतन 11 साल तक चलता है। सूर्य की चमक हर 11 साल के बाद, समय के अनुसार बदलती है, जो सौर चक्र के अंत का प्रतीक होती है और अभी हम उस चक्र के चरम-सीमा पर हैं।
- गौरतलब है कि सूर्य की गतिविधियों के कारण जब उसका तापमान और चमक बहुत निचले स्तर तक गिरते हैं तो उसे ग्रैंड सोलर मिनिमम कहा जाता है। यह घटना बहुत कम होती है, अंतिम ग्रैंड सोलर मिनिमम 1600 ईसवी के अंत में प्रतीत हुआ था जब तापमान में यह गिरावट, ज्वालामुखी विस्फोट में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई थी।

3. सनस्पॉट

- सूर्य के अंदरूनी भागों में लगातार नाभिकीय क्रियाएं (संलयन) चलती रहती हैं, इससे जो ऊष्मा मुक्त होती है वह अपने आस-पास गैसों को गर्म कर देती है। ये गैसें अपनी स्वभाविक प्रकृति के कारण सतह की ओर ऊपर उठती हैं जबकि सतह पर मौजूद अपेक्षाकृत ठंडी गैसें नीचे की ओर गति करती हैं।
- सतह पर पहुंचने वाली गर्म गैसें ठंडी हो जाती हैं और सूरज के गर्भ की गर्मी पाकर ठंडी गैसें गर्म हो जाती हैं और ये पुनः आपस में जगह बदल लेती हैं। इस प्रकार यह घटनाक्रम बिना रुके चलता रहता है।
- परन्तु इस चक्र की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं वे कई बार आपस में उलझकर इतने घने हो जाते हैं कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में गैसों के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देते हैं, फलस्वरूप सूर्य की सतह पर कुछ भाग ऐसे छूट जाते हैं जहां तक गर्म गैसें पहुंच नहीं पातीं, जबकि उनके आस-पास के क्षेत्र में वे अपनी जगह बना लेती हैं।
- इस प्रकार ये भाग अपेक्षाकृत ठंडे रह जाते हैं और काले रंग के धब्बे जैसे नजर आते हैं, इन्हीं धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है।

4. सोलर मिनिमम के प्रभाव

- सोलर मिनिमम अंतरिक्ष के मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है, जिससे पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल तक पहुँचने वाली, गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
- ये गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा के कण हैं, जो आकाशगंगा में दूर के सुपरनोवा विस्फोटों और अन्य हिंसक घटनाओं का एक परिणाम है।
- इसके अलावा सोलर मिनिमम से पृथ्वी के वैश्विक तापमान पर असर पड़ेगा, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग शामिल है।
- सोलर मिनिमम के दौरान सनस्पॉट्स और सौर फ्लेयर्स जैसी तीव्र गतिविधि कम हो जाती है, अर्थात् सौर गतिविधियाँ केवल रूप बदलती है। उदाहरण के लिए, सौर न्यूनतम के दौरान, हम लंबे समय तक रहने वाले कोरोनल होल के विकास को देख सकते हैं।
- कोरोनल होल से सौर हवा, अस्थायी रूप से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में भू-चुंबकीय तूफान, अरोरा और संचार और नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करती है।
- इसके अलावा, इससे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में यात्रा करने से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, क्योंकि सोलर मिनिमम से सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और यह ब्रह्मांडीय किरणों से कम परिरक्षण प्रदान कर पाता है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आपातकालीन क्रेडिन लाइन गारंटी योजना के तहत उधारकर्ता के लिए 50 प्रतिशत गांरटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
2. इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये के टर्नओवर वाले एमएसएमई (MSME) पात्र होंगे।
3. इस योजना के तहत ब्याज दर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25 फीसदी होगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: आपातकालीन क्रेडिट लाइन गांरटी योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गांरटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा उधारकर्ता के लिए 100 प्रतिशत (न कि 50%) गांरटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये के टर्नओवर वाले सभी MSME क्षेत्र को पात्र समझा जाएगा। इस योजना के तहत ब्याज दर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानो के लिए अधिकतम 9.25 फीसदी और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 14 फीसदी होगी। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

02 अनुबंध कृषि

प्र. अनुबंध कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि के लिए लाये गये अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और प्रयोजकों को लाभप्रद और कुशल कृषि प्रणाली प्रदान करना है।
2. अनुबंध कृषि खरीददार और किसानों के मध्य हुआ एक समझौता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में ओडिशा सरकार ने अनुबंध कृषि के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। इस अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और प्रायोजकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है। अनुबंध कृषि खरीददार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है, जिसमें इसके तहत किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

03 कॉयर जियो टेक्सटाइल्स

प्र. कॉयर जियो टेक्सटाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल हवाई अड्डों के निर्माण में किया जाता है।
2. कॉयर जियो टेक्सटाइल्स तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले ओडिशा राज्य में किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। कॉयर जियो तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले फ्री ट्रायल के रूप में केरल के कोन्नीस स्थित राजीव गांधी इनडोर स्टेडियम में किया गया था। इस तरह दोनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 कोणार्क सूर्य मंदिर एवं सौर ऊर्जा परियोजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सौर ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
2. कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था।
3. इस मंदिर को वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः सौर ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूरेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

05 पश्चिमी घाट का संरक्षण

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए वर्ष 2010 में एस. तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था।
2. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास 10 किलोमीटर का क्षेत्र होता है।
3. यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए वर्ष 2010 में माधव गाडगिल समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट के 64% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया जाए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र भारत में संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होता है। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

06 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्र. दिए गए निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू किया जाएगा।
(b) यह राज्य प्रायोजित योजना है, जिसे चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
(c) इस योजना के दो घटक होंगे, पहला केन्द्रीय क्षेत्रक योजना और दूसरा केन्द्र प्रायोजित योजना (सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम)।
(d) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को 2006 में मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना केन्द्र प्रायोजित है, जिसे चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस तरह कथन (b) गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

07 सोलर मिनिमम

प्र. सोलर मिनिमम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की गई है, जिसे सोलर मिनिमम नाम दिया गया है।
2. अंतिम बार सोलर मिनिमम की घटना 1600 ई. के अंतिम दशक में देखी गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की गई है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सोलर मिनिमम नाम दिया गया है। इस तरह की घटना अंतिम बार सन् 1600 ई. के अंतिम दशक में देखी गई थी। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 मिजोरम ने खेल को दिया उद्योग का दर्जा

- हाल ही में मिजोरम राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मिजोरम की खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' और 'अभूतपूर्व' करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरूआत होगी। यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा चल रही थी कि खेल को उद्योग का दर्जा दिया जाए।
- मिजोरम सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। उत्तर-पूर्व राज्यों के सभी फुटबॉलरों में से, मिजोरम में फुटबॉल खिलाड़ियों का पूल है जो भारत के प्रमुख क्लबों में खेलते हैं। राज्य ने हॉकी और भारोत्तोलन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन खेलों के अलावा, मिजोरम को कुश्ती और अन्य स्वदेशी खेलों जैसे कलछेत कल, इनसुकनावरा, इनरपाथाई आदि के लिए जाना जाता है।
- विदित हो कि इंडियन सुपर लीग को भारत में शीर्ष फुटबॉल लीग में से एक माना जाता है। लीग में कम से कम 150 खिलाड़ी मिजोरम के हैं। लीग को 2013 में भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। लीग को सबसे पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्टार स्पोर्ट्स और रिलायंस ने लॉन्च किया था।

02 अंटार्कटिक क्षेत्र में उच्च ऊर्जा वाले कणों की खोज

- हाल ही में नासा के शोधकर्ताओं ने ANTINA के माध्यम से अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ से उच्च ऊर्जा वाले कणों का पता लगाया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कण समानांतर ब्रह्मांड के प्रमाण हैं।

क्या है ANTIA

- यह हाई-एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो है। यह रेडियो पल्सेस का पता लगाता है जो अंटार्कटिक बर्फ की चादर से उत्सर्जित हो रहे हैं। बर्फ में न्यूट्रीनो अस्केरियन प्रभाव के कारण रेडियो पल्सेस का उत्पादन करते हैं।

- यह उपकरण अंटार्कटिका के क्षेत्र में उड़ान भरने वाले वैज्ञानिक बैलून के माध्यम से कॉस्मिक-रे न्यूट्रिनो का पता लगाता है। यह नासा की पहली न्यूट्रिनों वेधशाला है।

अस्केरियन प्रभाव

- यह वह घटना है जहां एक घने विद्युत माध्यम में प्रकाश से तेज वेग से यात्रा करने वाला एक कण, द्वितीयक आवेशित कणों की बौछार करता है। यह घने विद्युत माध्यम बर्फ, चंद्र रेगोलिथ (Salt of Lumar Regolith) हो

सकते हैं। जब न्यूट्रीनो एक परमाणु में टूटते हैं तो वे माध्यमिक कणों की बौछार उत्पन्न करते हैं। ये पता लगाने योग्य माध्यमिक कण हमें यह जाँचने की अनुमति देते हैं कि वे ब्रह्मांड में कहाँ से आए थे?

न्यूट्रीनो

- न्यूट्रीनो उच्च-ऊर्जा वाले कण हैं जो मानव शरीर के लिये अधिक खतरनाक नहीं होते हैं और बिना किसी को पता चले ये अधिक ठोस वस्तुओं से भी गुजरते हैं। न्यूट्रीनो की पृथ्वी पर लगातार बौछार होती है और जैसा कि अध्ययनों से पता चला है कि 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो मानव शरीर से प्रत्येक सेकंड गुजरते हैं।

ANTIA की खोज

- ANTIA ने अब तक चार प्रमुख ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाया है। आकाश से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें बर्फ से परावर्तित होती हैं। इसे नासा (NASA) द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें हीलियम बैलून से जुड़ी रेडियो एंटीना की एक सारणी/व्यूह रचना शामिल है, जो अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ की सतह से 37,000 मीटर की दूरी पर है।

03 रामकिंकर बैज और पुरंदर दास

- हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने रामकिंकर बैज की 115वीं जयंती मनाने के लिए 'रामकिंकर बैज, मूक बदलाव और अभिव्यक्तियों के माध्यम से यात्रा' के शीर्षक से आभासी यात्रा (वर्चुअल टूर) का आयोजन किया। इस आभासी यात्रा के दौरान रामकिंकर बैज की उन उत्कृष्ट कलाकृतियों को दर्शाया गया जिन्हें इन पाँच अलग-अलग थीम कीशृंखला में वर्गीकृत किया गया है (i) चित्र (पोर्ट्रेट), (ii) जीवन का अध्ययन, (iii) सार एवं संरचनात्मक रचना, (iv) प्रकृति का अध्ययन एवं परिदृश्य, और (v) मूर्तियां।
- इसके साथ ही कर्नाटक के पुरातत्व, विरासत और संग्रहालय विभाग, जल्द ही अरगा क्षेत्र, मालनाड (मलेनड्) में अनुसंधान कार्य शुरू करने की योजना पर कार्य करने जा रहा है, ताकि कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास के जन्मस्थान के बारे में अटकलों को समाप्त किया जा सके।

रामकिंकर बैज कौन थे

- आधुनिक भारत के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक रामकिंकर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे। रामकिंकर बैज (1906-1980) का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिसकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, परन्तु वह अपने दृढ़संकल्प के बल पर भारतीय कला के सबसे प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिकतावादियों में स्वयं को शुमार करने में सफल रहे थे।

वर्ष 1925 में उन्होंने शांतिनिकेतन स्थित कला विद्यालय अर्थात् कला भवन में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया और इसके साथ ही नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में अनेक बारीकियां सीखीं।
- भारतीय कला में सबसे पहले आधुनिकतावादियों में से एक रामकिंकर ने यूरोपीय आधुनिक दृश्य भाषा की शैली को आत्मसात किया, लेकिन इसके बावजूद वह अपने ही भारतीय मूल्यों से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने पहले आलंकारिक शैली एवं बाद में भावात्मक शैली और फिर वापस आलंकारिक शैली में अनगिनत प्रयोग किए। उनकी थीम मानवतावाद की गहरी समझ और मनुष्य एवं प्रकृति के बीच पारस्पलरिक निर्भरता वाले संबंधों की सहज समझ से जुड़ी होती थीं।
- वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1976 में उन्हें ललित कला अकादमी का एक प्रमुख बनाया गया। उन्हें वर्ष 1976 में विश्व भारती द्वारा मानद डॉक्टरल उपाधि 'देशोत्तम' से और वर्ष 1979 में रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट से सम्मानित किया गया।

पुरंदर दास के बारे में

- व्यापक रूप से माना जाता है, कि पुरंदर दास का जन्म पुरंदरगढ़ (महाराष्ट्र) में हुआ था। हालांकि, मलनाड (कर्नाटक) के लोगों द्वारा भी यह दावा किया कि उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था।
- साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरंदर दास का जन्म अरागा (मालनाड़, कर्नाटक) के पास हुआ था। हालाँकि, किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर तभी तक पहुँचा जा सकता है जब शिलालेख, सिक्के, भवन के अवशेष, पुरातात्विक साक्ष्य आदि प्राप्त हो।
- पुरंदर दास, विजयनगर सामाज्रय के दौरान वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे। वैष्णव परंपरा को अपनाने से पूर्व, वह एक अमीर व्यापारी थे और उन्हें श्रीनिवास नायक के नाम से जाना जाता था।
- उन्होंने 84 रागों की पहचान की और कर्नाटक संगीत को सिखाने के लिए क्रमबद्ध पाठों में प्रणाली तैयार की।
- उन्होंने पुरंदरा विड्वूला के नाम से कननड् और संस्कृत में गीतों की रचना की।

04 बीएस-VI की L7 श्रेणी के उत्सर्जन मानदंड को अधिसूचित किया गया

- हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीएस-VI हेतु L7 श्रेणी के लिए उत्सर्जन मानदंडों को अधिसूचित किया। इस अधिसूचना के साथ, देश में बीएस-VI प्रक्रिया L, M और N श्रेणी के वाहनों के लिए पूरी हो गयी।
- यह उत्सर्जन मानदंड क्वाड्रिसाइकल के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। भारत में क्वाड्रिसाइकल सेगमेंट लगभग 2 साल पहले पेश किया गया था। इसका उत्पादन अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है।
- क्वाड्रिसाइकल सेगमेंट 2018 में वाणिज्यिक और निजी उपयोग दोनों के लिए पेश किया गया था।

क्वाड्रिसाइकल क्या है

- क्वाड्रिसाइकल एक ऐसा वाहन है जो थ्री व्हीलर के आकार का होता है लेकिन चार पहियों से चलता है। मोटर वाहन

अधिनियम, 1988 के तहत क्वाड्रिसाइकल को "गैर-परिवहन" के रूप में परिभाषित गया था।
- भारत में कार्गो परिवहन के लिए क्वाड्रिसाइकिल की अनुमति नहीं है। उन्हें अधिक कठिन टेस्ट से गुजरना पड़ता है और भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। विदित हो कि 400 किलो से अधिक भार वाले चार पहियों वाले वाहनों को L7 श्रेणी में रखा गया है।
- वर्तमान में, भारत में केवल कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियाँ ही क्वाड्रिसाइकल का निर्माण करते हैं। सरकार द्वारा 2018 में वाहन को पेश करने की अनुमति दिए जाने के बाद, बजाज ऑटो लिमिटेड इस सेगमेंट के तहत व्यावसायिक रूप से बजाज क्यूट (Bajaj Qute) लॉन्च करने वाला पहला था।
- Bajaj Qute को अप्रैल 2019 में CNG और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में भारत में लॉन्च किया गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने ऑटो एक्सपो 2020 में एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रिसाइकल को प्रदर्शित किया जिसे इस साल के अंत में लॉन्च किए जाने की संभावना है।

05 वन अधिकारों को मान्यता

- हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कुछ संशोधन किए हैं। राज्यपाल की ओर से वन अधिकार कानून संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना राज्य के पेसा क्षेत्र में लागू रहेगी। इससे आदिवासियों को दावे नामंजूर किए जाने पर अपील का अधिकार मिल गया है।
- भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूचि में प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने एक अधिसूचना द्वारा उपरोक्त कानून की धारा 6 में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय स्तर पर समिति गठित की गई है। विभागीय आयुक्त की समिति के पास डीएलसी `(जिला समिति) के फैसले के खिलाफ अपील किया जा सकेगा।

महत्व

- यह अधिनियम व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार' को जिन्हें डीएलसी (जिला समिति) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, को न्याय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिसूचना राज्य में पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम में शामिल क्षेत्रों पर लागू होती है और डीएलसी के फैसले के खिलाफ अपील के प्रावधान की अनुमति देती है। अधिसूचना में कहा गया है कि डीएलसी के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए मंडल आयुक्तों की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय समितियों का

गठन किया गया है। अधिसूचना शुरू होने से पहले डीएलसी द्वारा पारित एक आदेश के मामले में, अपील छह महीने के भीतर की जानी चाहिए। हालांकि, यदि अधिसूचना शुरू होने के बाद कोई आदेश पारित किया गया है, तो आवेदन 90 दिनों के भीतर करना होगा।

5वीं अनुसूची क्या है

- संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ-साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है।

पांचवें अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

- अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वार्षिक रूप से, या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी, उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट करना होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में राज्यों को निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार के पास कार्यकारी अधिकार होते हैं। पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी भी राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) की स्थापना का प्रावधान है।

राज्यपाल नियमों को निर्धारित या विनियमित कर सकता है

- राज्यपाल राज्य में किसी भी क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। इस तरह के नियम ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच या उनके द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकते हैं। इस तरह के नियम बनाने में, राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद संसद या राज्य या विधानमंडल के किसी भी कानून को रद्द या संशोधित कर सकता है।

06 भारतीय ओलंपिक संघ

- हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले सुमिरवाला की अगुवाई में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है, ताकि 2020-2021 वर्ष के लिए अपने सदस्यों के वार्षिक अनुदान और संबद्धता शुल्क की निगरानी की जा सके।

भारतीय ओलंपिक संघ के कार्य

- यह देश में खेल प्रशासन और एथलीटों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करता है। ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और आईओसी, सीजीएफ, ओसीए और एएनओसी की अन्य अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों या टीमों के प्रतिनिधित्व को देखता हैं।
- IOA की स्थापना वर्ष 1927 में सर दोराबजी टाटा और डॉ ए.जी. नोहरेन के साथ संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव के रूप में हुई थी। यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। IOA के सदस्यों में राष्ट्रीय खेल संघ, राज्य ओलंपिक संघ, IOC सदस्य और अन्य चुनिंदा बहु-खेल संगठन शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ वर्तमान में एक 32-सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा शासित है। कार्यकारी परिषद के लिए चुनाव हर 4 साल में एक बार होता है।
- विदित हो कि भारतीय ओलम्पिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (एनओसी) है।

07 पश्चिमी घाट में नए पौधों की प्रजातियों की खोज

- हाल ही में, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) के वैज्ञानिकों के एक दल ने केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के सदाबहार वन से तीन नई पौधों की प्रजातियों की खोज की है।
- इन प्रजालियों की खोज एसआई वैज्ञानिक के.ए. सुजाना की अगुवाई में वैज्ञानिकों के एक दल ने की।

नई प्रजाति के बारे में

- बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गयी तीन प्रजातियां हैं: यूजेनिया स्पैरोकापी, गोनीओथालमस सेरिसस और मनेमेकोलिन नर्वोसम।
- **यूजेनिया स्पैरोकार्पा (Eugenia sphaerocarpa):** यह मायटेरेसी या रोज एप्पल परिवार से संबंधित है। यह केरल में मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के कक्कयम क्षेत्र में 800 मीटर की ऊंचाई पर विकास कर रहा है। यूजेनिया प्रजाति के फलों को उनके स्वाद के लिए जाना जाता है।

- **गोनीओथालमस सेरिसस (Goniothalamus sericeus):** यह कस्टर्ड सेब के एनाओनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। इस प्रजाति के पौधे 7400 मीटर की ऊंचाई पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए हैं।
- **मेमेकोलीन नर्वोसम (Memecylon nervosum):** यह मेलस्टोमैटेसी (स्थानीय भाषा में कायांबो या कासावु) परिवार से है। 700-900 मीटर की ऊंचाई पर कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में नर्वोसम की आबादी पायी गयी है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 केन्द्र सरकार की कृषि उत्पादन ट्रेड और कामर्स अध्यादेश, 2020 के संदर्भ में 'वन इंडिया, वन एग्रीकल्चर मार्केट' की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।

02 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है? यह योजना छोटे व मध्यम व्यावसायिक ऋणदाताओं के लिए किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

03 वर्तमान में विश्व में CO_2 का उत्सर्जन पिछले 40 वर्षों में सबसे निम्न स्तर पर है। कम CO_2 उत्सर्जन का कारण कोविड-19 जैसे तात्कालिक मुद्दे हैं या फिर सरकारी तंत्र का प्रयास। आलोचनात्मक व्याख्या करें।

04 पश्चिमी घाट के महत्त्व को बतलाते हुए, इसके संरक्षण के लिए बनाई गई समितियों तथा उनके सुझावों पर विस्तार से चर्चा करें।

05 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? यह योजना रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदारों को अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में कितना महत्त्वपूर्ण साबित होगी? टिप्पणी करें।

06 "मानव को अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से अधिक महत्त्वपूर्ण है"। इस कथन का विश्लेषण करें।

07 औद्योगिक उत्पादन में भारत आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो सका है तथा ज्यादातर निर्यात पर ही निर्भर है। औद्योगिक उत्पादन के पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 भारत को राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त होंगे?

फ्रांस

02 भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई (MSME) के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी-आधारित मंच का नाम क्या है?

चैंपियन

03 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है?

स्पेसएक्स

04 किस देश ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनरों में अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है?

भारत

05 यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

गायत्री आई. कुमार

06 हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है?

माई लाइफ-माई योगा

07 किस राज्य ने कांटेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं हेतु आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है?

तमिलनाडु

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है।

डा. भीमराव अम्बेडकर

02 जो दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार नही कर सकते उन्हें भी स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नही है।

अब्राहम लिंकन

03 समय को बीते हुए सालों से नहीं गिना जाता बल्कि किसी एक ने उस समय में क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे गिना जाता है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू

04 अगर कोई काम करना और प्यार करना जानता है, तो इस दुनिया में शानदार तरीके से रह सकता है।

लियो टॉल्स्टॉय

05 मनुष्य का स्वभाव उसे विश्वसनीय बनाता है न की उसकी धन-दौलत।

अरस्तु

06 जिस मनुष्य में भावना का संचार न हो, जिसे अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, उसका हृदय हृदय नहीं पत्थर है।

रामधारी सिंह दिनकर

07 वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा हैं।

डा. अब्दुल कलाम

धyेयIAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

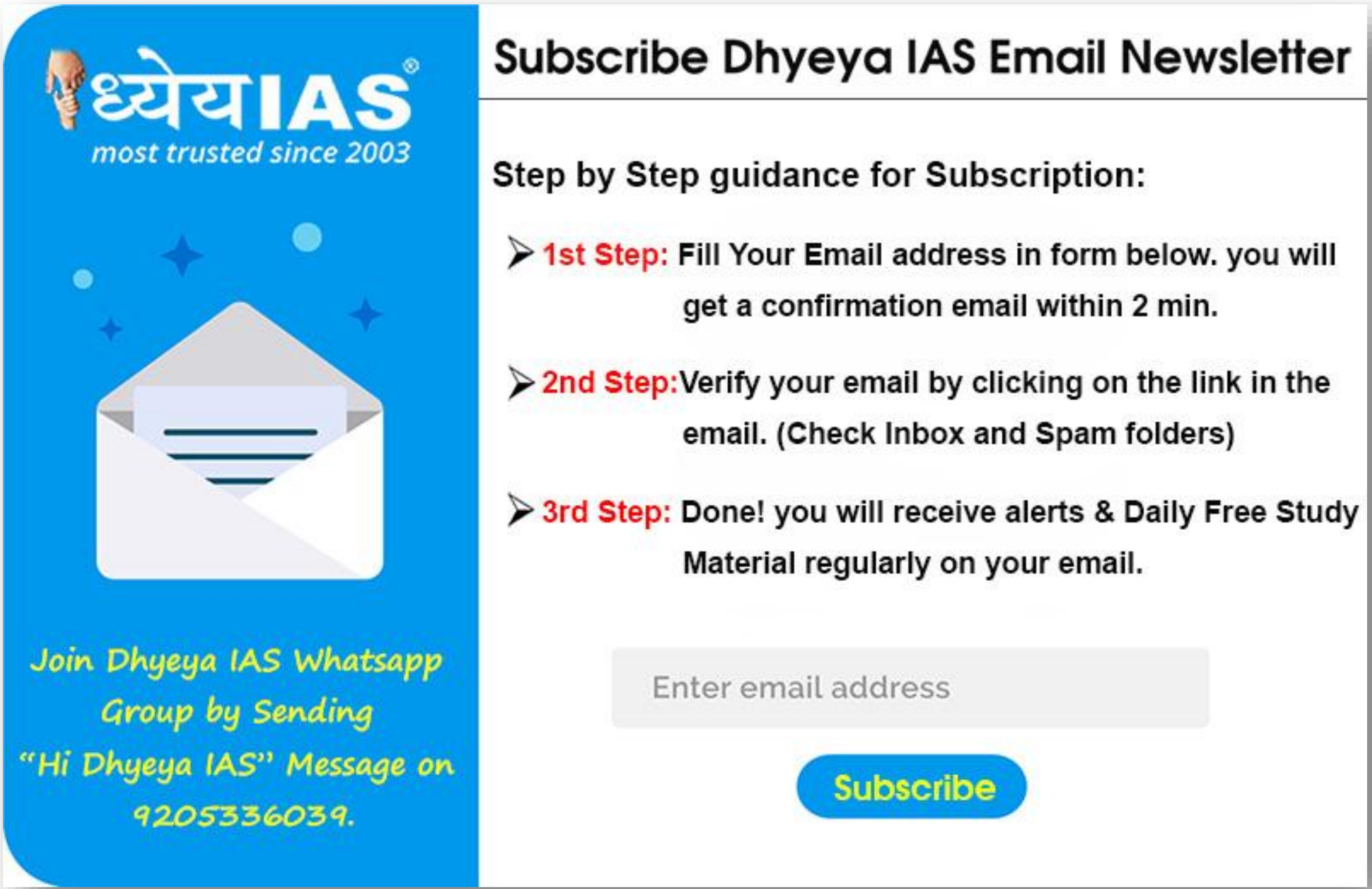

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400